

# न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 8/2018 एफ.एस.एस. एक्ट

1. सरकार जरिये महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा, जिला दौसा ।

— आवेदक—

बनाम

1. श्री संजय कुमार पुत्र श्री पुरुषोत्तम गुप्ता निवासी डिवाचडी रोड मण्डावरी लालसोट ।
2. श्री अलताफ अतिकुर्रहमान मुखी निदेशक मैसर्स मुखी इण्डस्ट्रीज लिमि0 एफ-9/10 रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, बगरू एक्स, बगरू फेज-2 जयपुर, राजस्थान 302029
3. श्री अतिकुर्रहमान दाउद भाई मुखी निदेशक, मैसर्स मुखी इण्डस्ट्रीज लिमि0 एफ-9/10 रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, बगरू एक्स, बगरू फेज-2 जयपुर, राजस्थान 302029
4. श्रीमति अतियाजुनैद आसमदी निदेशक, मैसर्स मुखी इण्डस्ट्रीज लिमि0 एफ-9/10 रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, बगरू एक्स, बगरू फेज-2 जयपुर, राजस्थान 302029
5. श्रीमति निदा अलताफ मुखी, निदेशक, मैसर्स मुखी इण्डस्ट्रीज लिमि0 एफ-9/10 रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, बगरू एक्स, बगरू फेज-2 जयपुर, राजस्थान 302029

— अभियुक्तगण—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएसए एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित ।

: अप्रार्थी अभियुक्त सं0 1 उपस्थित ।

: महबूब खान अकबरखान मूसला प्रतिनिधि अप्रार्थी सं0 2 लगा0 5 उपस्थित ।

—: आदेश :—

दिनांक 21.3.2018

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार मुझे खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्यें राज.जयपुर के आदेश क्रमांक 475 दिनांक 10.08.2011 के द्वारा मुझे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र जिला दौसा आवंटित किया गया है।

यह है कि दिनांक 7.10.2017 को दोपहर बाद 03:00 बजे मैसर्स-तारा सेल्स एजेन्सी, बस स्टैंड के पास मण्डावरी, तहसील लालसोट जिला दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री संजय कुमार पुत्र श्री पुरुषोत्तम गुप्ता उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिए कहा तो उसने खाद्य पदार्थ का रजिस्ट्रेशन होना जाहिर किया।

यह है कि निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान पर 5 कार्टून में Refined soyabean oil (Veva) (5 कार्टून X 32 बोतल X 405 ग्राम) आम जनता को बेचने हेतु रखे हुआ था, में मिलावट का शक होने पर एक कार्टून में से नमूने की जांच हेतु 4 मूल पैक बोतल



न्याय निर्णय अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

Refined soyabean oil (Veva) नमूने की जांच हेतु खरीदी। जिनकी कीमत 152 रुपये नकद देकर बिल प्राप्त किया।

यह है कि चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व (विक्रेता) एफबीओ के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को खरीदशुदा मूल पैक बोतल Refined soyabean oil (Veva) की बोतलों पर चिपकाकर बोतलों को अलग अलग एक खाकी कागज में लपेट कर किनारों को सफाई से मोड़कर गोंद से चिपकाकर बोतलों पर डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी-1754 गोंद से चिपकाकर बोतलों को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर बोतलों को चार-चार जगह से सील चपड़ी से सील मोहर कर बोतलों पर एफ.बी.ओ. (विक्रेता) व गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील बन्द बोतलों को अपने कब्जे में लिया।

यह है कि आवेदक ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं. 6 की एक प्रति व नमूने की एक सीलबंद बोतल एक आउटर कवर में चपड़ी से सील मोहर कर तथा फार्म नं. 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बंद बोतल व फार्म नं. 6 का सील बंद लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च०श्रे०क० मुख्यालय द्वारा दिनांक 9.10.2017 को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, राज० जयपुर के यहा जमा करवाये,

यह है कि नमूने की दो सील बन्द बोतल व फार्म नं. 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 9.10.2017 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने की चतुर्थ सीलबंद बोतल व फार्म नं. 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 10.10.2017 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है।

यह है कि उक्त खाद्य पदार्थ Refined soyabean oil (Veva) के नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट सं० एल.एस./2273/एक्ट/2017/2345 दिनांक 1.11.2017 डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा के जरिये आवेदक को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ Refined soyabean oil (Veva) का नमूना मिसब्राण्ड होना पाया गया।

न्याय निर्णय आवेदन श्रीमान के समक्ष पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्तगण की गई। अप्रार्थी अभियुक्त सं० 2 लगायत 5 द्वारा निवेदन किया गया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लिया गया खाद्य पदार्थ Refined soyabean oil (Veva) का नमूना मिसब्राण्ड पाया गया है। जिसमें Best Before 9 Months From Date of packaging हमारे द्वारा लिखा गया है। जिसकी हमें एक्ट के अनुसार जानकारी नहीं थी, अब हमने इसे ठीक करवा दिया है। अतः निवेदन है कि प्रथम बार हुई गलती के लिये जुर्माने से माफ करने की कृपा करे। अप्रार्थी सं० 1 द्वारा निवेदन किया कि मैंने कम्पनी से बिल से माल खरीद कर जैसी पैकिंग कम्पनी ने दी वैसे ही मैंने बाजार में बेचा, इसमें कोई बदलाव नहीं किया। अतः मेरा दोष झोप करने की कृपा करे।



न्याय निर्णय अधिकारी एवं  
अति० जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 8/2018 एफ.एस.एस. एक्ट

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट सं० एल.एस./2273/एक्ट/2017/2345 दिनांक 1.11.2017 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ Refined soyabean oil (Veva) मिसब्राण्ड पाया गया है। जो एफएसएसए नियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) का उल्लंघन है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवचेन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त सं० 2 लगायत 5 श्री अलताफ अतिकुरहमान, श्री अतिकुरहमान दाउद भाई, श्रीमति अतियाजुनैद आसमदी, श्रीमति निदा अलताफ निदेशक मैसर्स मुखी इण्डस्ट्रीज लिमि० एफ-9/10 रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, बगरू एक्स, बगरू फेज-2 जयपुर, राजस्थान 302029 पर 8000/- ( अक्षरे आठ हजार ) रुपये शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 21.3.2018 के एक माह के अन्दर-अन्दर जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 21.3.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया



कमांक/ 8578-24

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य ) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए राज० जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को भेजकर लेख है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी को समय-समय पर खाद्य पदार्थों की जांच हेतु आवश्यक निर्देश प्रदान किया जाना सुनिश्चित करे।
3. श्री संजय कुमार पुत्र श्री पुरुषोत्तम गुप्ता निवासी डिवाचडी रोड मण्डावरी लालसोट।
4. श्री अलताफ अतिकुरहमान मुखी निदेशक मैसर्स मुखी इण्डस्ट्रीज लिमि० एफ-9/10 रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, बगरू एक्स, बगरू फेज-2 जयपुर, राजस्थान 302029
5. श्री अतिकुरहमान दाउद भाई मुखी निदेशक, मैसर्स मुखी इण्डस्ट्रीज लिमि० एफ-9/10 रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, बगरू एक्स, बगरू फेज-2 जयपुर, राजस्थान 302029
6. श्रीमति अतियाजुनैद आसमदी निदेशक, मैसर्स मुखी इण्डस्ट्रीज लिमि० एफ-9/10 रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, बगरू एक्स, बगरू फेज-2 जयपुर, राजस्थान 302029
7. श्रीमति निदा अलताफ मुखी, निदेशक, मैसर्स मुखी इण्डस्ट्रीज लिमि० एफ-9/10 रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, बगरू एक्स, बगरू फेज-2 जयपुर, राजस्थान 302029

(राजवीर सिंह चौधरी)  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, दौसा  
दिनांक:- 21.3.2018

(राजवीर सिंह चौधरी)  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, दौसा